मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल

राजा भोज मार्ग चूना भट्टी, भोपाल, (म. प्र.)

क्रमांक/ /स्था./मप्रभोमुविवि/2021 भोपाल, दिनांक /03/2021

//आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 320/137/सीसी/20/33, दिनांक 18.3.2021 के द्वारा विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 98वी. बैठक दिनांक 21.2.2021 के विषय क्र.-7 में लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों एवं शिक्षकों को समन्वय समिति द्वारा चिकित्सा भत्ता रूपये 1000/- से रूपये 2000/- (दो हजार) प्रतिमाह किये जाने पर सहमति दी गई। इसके अतिरिक्त मेडिक्लेम पॉलिसी के संबंध में निर्णय लिया गया कि:-

1. रूपये 5 लाख का मेडिक्लेम कवर प्रदान किया जाये।
2. देय प्रीमियम का 25% कर्मचारी द्वारा एवं 75% विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाएगा।
3. सरकारी क्षेत्र के चारों साधारण बीमा कंपनियों से प्रस्ताव प्राप्त किये जाए एवं न्यूनतम प्रस्ताव के आधार पर कार्यावंटन किया जाए।
4. मेडिक्लेम व्यवस्था निम्न स्थितियों में लागू नहीं होगी:
   a. केन्द्र सरकार की आयुष्मान योजना की पात्रता होने पर ।
   b. विश्वविद्यालय में संबंधित बीमारी के चिकित्सा देयकों के भुगतान (Reimbursement) की व्यवस्था होने पर।

समन्वय समिति के उक्त निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ.क्रमांक/1706/स्था./मप्रभोमुविवि/2021 भोपाल, दिनांक 31 /03/2021

प्रतिलिपि:

1. निज सहायक मा. कुलपति जी म. प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल।
2. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, म. प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. वित्त नियंत्रक, म. प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल।
4. सहायक संचालक, आवासीय संपरीक्षा, म.प्र. भोज (मुक्त) वि.वि., भोपाल।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, म. प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. समस्त क्षेत्रीय केन्द्राध्यक्ष, म. प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. सूचना पट्ल।
8. गार्ड फाइल।

कुलसचिव

6.4.3.1

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 7 /08/2019

क्रमांक 824/1415/2019/38-3 : म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 अंतर्गत म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय की स्थापना उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मुक्त विश्वविद्यालय और दूरशिक्षा पद्धति के प्रारंभ और संवर्धन के लिये राज्य स्तर पर की गई है। विश्वविद्यालय द्वारा उददेश्य पूर्ति हेतु तीन स्तरों पर कार्य करते हुये 10 क्षेत्रीय केन्द्र और 01 उप केन्द्र स्थापित किया गया है। विश्वविद्यालय के परिनियम- 11 अनुसार 264 अध्ययन केन्द्र 10+2 के विद्यालयों में स्थापित है।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली (मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्राप्ति) विनियम- 2017 के पृष्ठ क्रमांक 20 अनुलग्नक IV के कंडिका 'क' के परिपालन में गठित समिति द्वारा शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में अध्ययन केन्द्रों कों स्थापित करने की अनुशंसा दिनांक 22.05.2019 को की गई है, जिसका अनुमोदन विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड की 74वीं बैठक दिनांक 25.05.2019 के विषय क्रमांक-5 में किया गया है। 186 शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में स्थापित अध्ययन केन्द्रों की सूची (परिशिष्ट-1) पर संलग्न है।

3. म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय एवं नवीन अध्ययन केन्द्रों के मध्य निष्पादित किये जाने वाले अनुबंध पत्र में मुख्य रूप से विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्रों के केन्द्राध्यक्ष, समन्वयक, शिक्षकों को निर्धारित मानदेय राशि का नियमानुसार भुगतान, अध्ययन केन्द्र के लिए आंशिक अधोसरंचना फर्नीचर, कंप्यूटर इत्यादि में व्यय प्रतिपूर्ति तथा पंजीकृत विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क का प्रोराटा के आधार पर 80 प्रतिशत विश्वविद्यालय में तथा 20 प्रतिशत महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति के अकाउंट में स्थानांतरित की जायेगी। अनुबंध पत्र शर्तो सहित (परिशिष्ट-2) पर संलग्न है।

निरंतर...2..

4. राज्य शासन एतद द्वारा म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 की धारा- 5 (viii)(ix) के प्रावधान के अंतर्गत परिनियम-11 अनुसार 186 शासकीय/अशासकीय (Aided) महाविद्यालयों में नवीन अध्ययन केन्द्रों को स्थापित करने की अनुमति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

7-8-19
(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 7 /08/2019

पृष्ठां.क्र.825/1415/2019/38-3

प्रतिलिपि-

1. सचिव, मान. राज्यपाल महोदय की ओर सादर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, मान. मंत्री जी, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
3. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल।
5. कुलपति, म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल।
6. कुलसचिव, म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल।
7. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, (समस्त) उच्च शिक्षा, म.प्र.।
8. प्राचार्य, (समस्त) संबंधित महाविद्यालय, म.प्र.।

7-8-19
अवर सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

परिशिष्ट-02

"अनुबंध पत्र"

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम 1991 की धारा – 5 (viii) (ix) के प्रावधान के अन्तर्गत परिनियम 11 के परिपालन में यह अनुबंध पत्र मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, कोलार रोड, भोपाल द्वारा अपने क्षेत्रीय केन्द्र.....के अन्तर्गत नवीन अध्ययन केन्द्र प्रारंम्भ करने के लिये दोनों पक्षों के मध्य किया जा रहा है।

प्रथम पक्षः मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल

द्वितीय पक्षः शासकीय (परिशिष्ट 01 के अनुसार)/अशासकीय महाविद्यालय (प्रबंध मण्डल द्वारा अनुमोदित होने के उपंरात)

अनुबंध की शर्तें निम्नानुसार हैः-

1. संस्था के प्राचार्य अध्ययन केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष के रूप में कार्य करेगें। प्राचार्य के त्यागपत्र देने या उनके स्थान पर अन्य व्यक्ति पदस्थ हो जाने पर नये प्राचार्य अध्ययन केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष के रूप में कार्य करेगें। पूर्व प्राचार्य को अध्ययन केन्द्र स्थापित करने की पात्रता तथा केन्द्राध्यक्ष के रूप में मान्य करने हेतु मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा। केन्द्राध्यक्ष अपने स्तर पर आपने सहयोग के लिये एक समन्वयक की नियुक्ति कर सकता है। जो महाविद्यालय में पदस्थ कोई वरिष्ठ प्राध्यापक स्तर का हो।

2. अध्ययन केन्द्र के संचालन के लिये, अध्ययन केन्द्र, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय की ओर निम्नलिखित उन सभी कार्यो को संपादित करेगा जो मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर आव'यकता एवं परिस्थिति वश संसुचित किये जायेगें।

(1) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया कर प्रवेश फार्म की प्रथम एवं द्वितीय प्रति सम्पूर्ण अभिलेखो सहित क्रमशः क्षेत्रीय केन्द्र और मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय के मुख्यालय में निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करते हुये प्रवेश फार्म की तृतीय प्रति को अपने अध्ययन केन्द्र में सम्पूर्ण अभिलेख सहित सुरक्षित रखेगें।

(2) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय से प्राप्त अध्ययन सामग्री को विद्यार्थियों में वितरित कर यह सुनिश्चित करना की सभी प्रविष्ट विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो गई। यदि नही हुई हो तो शीघ्र प्राप्त करने के लिये प्रयास करने का दायित्व अध्ययन केन्द्र का होगा, ताकि विद्यार्थियों को अध्ययन में किसी प्रकार का अवरोध न हो।

(3) शैक्षणिक सत्र में प्रत्येक विषय के 12 सैद्धातिक कालखण्डों की तथा जिन विषयों में प्रायोगिक कार्य हो उनकी भी 12 कालखण्डों की प्रायोगिक सम्पर्क कक्षाएं विश्वविद्यालय के अध्यादेश 60/61 के अनुसार लगाने का दायित्व अध्ययन केन्द्र का होगा। साथ ही इसकी सूचना विश्वविद्यालय सहित संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र व विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

(4) प्रवेशित विद्यार्थियों से सत्रीय उत्तर पुस्तिकाऐं निर्धारित समय सीमा में जमा करा कर क्षेत्रीय केन्द्र को भिजवाने का दायित्व भी अध्ययन केन्द्र का होगा।

(5) प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये सैद्धातिक एवं प्रायोगिक सम्पर्क कक्षाओं तथा सत्रात परीक्षा के दोरान पूर्ण स्वच्छ, हवाप्रकाश, जल, शौचालय (छात्र-छात्रायें का अलग अलग) एवं अन्य मूलभूत सुविधाऐं जो अध्ययन केन्द्र के लिये आव'यक होतो उपलब्ध कराने का दायित्व भी अध्ययन केन्द्र का होगा।

(6) अध्ययन केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष एवं मुख्य स्टाफ सदस्य जैसे समन्वयक, शिक्षकों, एक लिपिक आदि सभी को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदय राशि का भुगतान विश्वविद्यालय के नियमानुसार किया जायगा।

(7) अध्ययन केन्द्र विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त अन्य कोई भी राशि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में प्राप्त नहीं करेगा।

(8) अध्ययन केन्द्र के लिए आंशिक अधोसंरचना फर्नीचर, कम्प्यूटर इत्यादि में जो व्यय होगा उसकी प्रतिपूर्ति प्रथम पक्षः विश्वविद्यालय द्वारा की जावेगी।

(9) महाविद्यालय में कुल पंजीकृत विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क का प्रोराटा के आधार पर 80 प्रतिशत विश्वविद्यालय में तथा 20 प्रतिशत महाविद्यालय की जनभागीदार समिति के अकाउण्ट में स्थानांतरित की जायेगी इस राशि में सम्पर्क कक्षायें तथा परीक्षा संचालन शामिल है। जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र अध्ययन केन्द्र द्वारा विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

(10) जिन महाविद्यालयों में मध्यप्रदेशभोज (मुक्त) विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र स्थानांतरित/स्थापित किये जा रहें है उनकी सूची परिशिष्ट 01 में संलग्न है।

(11) किन्तु यह भी कि किसी महाविद्यालय केन्द्र में विद्यार्थियों का प्रवेश कम संख्या में होता है। तो ऐसी स्थिति में सम्पर्क कक्षाओं एवं परीक्षा संचालन के व्यय की राशि तथा शुल्क अंशदान की अन्तर राशि की प्रतिपूर्ति विश्वविद्यालय के द्वारा की जावेगी।

(12) अध्ययन केन्द्र के अस्तित्व एवं निरंतरता को बनाये रखने के लिये विद्यार्थियों के लिये उचित अध्ययन कक्षों, प्रयोगशालाओं एवं अन्य सुविधाओं को प्रदान करने का दायित्व अध्ययन केन्द्र कार हेगा।

(13) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय द्वारा जो मुक्त शिक्षा के उदेश्य एवं लक्ष्य की पूर्ति हेतु समय-समय पर आव'यक आदेश विश्वविद्यालय निर्देश विश्वविद्यालय शर्तें जारी किये जाऐगें। उनका पालन करना अध्ययन केन्द्र का दायित्व होगा।

(14) मध्यप्रदेशभोज (मुक्त) विश्वविद्यालय द्वारा गठित दल को अध्ययन केन्द्र द्वारा संचालित समस्त गतिविधियों सहित अभिलेखो एंव परीक्षा आदि के निरीक्षण में सहयोग करना अध्ययन केन्द्र का दायित्व होगा।

निम्नलिखित परिस्थितियों में विश्वविद्यालय को अध्ययन केन्द्र की मान्यता निरस्त करने का अधिकार रहेगाः-

1. अध्ययन केन्द्र मान्यता प्रावधानों के अनुरूप संचालित नहीं किया जा रहा हो।
2. अध्ययन केन्द्र में किसी भी प्रकार की अनियमितता या असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होने पर।
3. अध्ययन केन्द्र द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रवेशित विद्यार्थीयों से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कोई ऐसी राशि ली जा रही हो जो अनुबंध की शर्तो में विहित प्रावधानों के विपरित हो।
4. विश्वविद्यालय के नियमानुसार सम्पर्क कक्षाओं का संचालन नहीं किया गया तो मान्यता निरस्त।
5. सत्रीय कार्य तथा सत्रात परीक्षाओं का संचालन सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा हो।
6. विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकृत विद्यार्थीयों के लिये प्रदत अध्ययन सामग्री का नियमानुसार विद्यार्थीयों में वितरण नहीं किया जा रहा हो।
7. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश के नियमों का उल्लघन किया जा रहा हो।
8. अध्ययन केन्द्र द्वारा लेखा का संधारण विश्वविद्यालय नियमानुसार नहीं किया जा रहा हो।

9. ऐसी निजी संस्था जो समिति द्वारा संचालित है द्वारा अपनी मूल समिति को बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के अन्य समिति में विलय कर देती है।

10. बिना किसी पूर्व सूचना एवं अनुमति के अध्ययन केन्द्र का स्थान परिवर्तन किये जाने पर।

उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त भी विश्वविद्यालय यदि किसी बिन्दु पर असंतुष्ट है तो मान्यता रद् कर सकता है किन्तु ऐसे किये जाने के पूर्व संबंधित संस्था को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा।

3. इस अनुबंध की तीन मूल प्रतियां हस्ताक्षर की जा रही है। जिसकी एक प्रति कुलसचिव, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय , कोलार रोड, भोपाल को दूसरी प्रति द्वितीय पक्षकार.....को एवं तृतीय प्रति क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र.....के अधिपत्य में संधारित की जा रही है जो कि समयानुसार कार्यवाही में उपयोग की जा सकेगी।

4. इस अनुबंध के प्रत्येक पृष्ठों पर दोनो पक्षकारो द्वारा हस्ताक्षर किये जा रहे है एवं किसी पृष्ठ में कोई काट-छाट नहीं है।

5. अध्ययन केन्द्रों के केन्द्राध्यक्ष विश्वविद्यालय उपकेन्द्राध्यक्ष व अन्य नियुक्तियों को दिये जाने वाले मानदेय एंव अन्य संबंधित विषयों के निर्णय हेतु परीनियम 11 में दर्शायी गयी समिति अधिकृत होगी।

यह अनुबंध आज दिनांक .....को दोनो पक्षो की सहमति में पूर्ण होशोहवास में एवं गवाहो की उपस्थिति में किया जा रहा है एवं उक्त शर्तो को दोनो पक्षो द्वारा मान्य किया जा रहा है।

कुलसचिव
मध्यप्रदेशभोज (मुक्त) विश्वविद्यालय ,
भोपाल

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय

गवाह .

1.....

2.....

गवाह

1.....

2.....